## न्यायालय - जिला न्यायाधीश, झालावाड़, जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन न्यायाधीश - **आलोक सुरोलिया,** आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

**दीवानी वाद संख्या 04/2023**

**C.I.S. No. 04/2023**

1. **सुगनबाई** पत्नी गोवर्धन पुत्री मथुरालाल, उम्र 50 साल, निवासी धाकड़ो की बस्ती लालगांव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.)

2. रेखा कुमारी पत्नी शिवनारायण पुत्री गोवर्धन, उम्र 32 साल, निवासी 56 राम मन्दिर मोहल्ला कादर नगर, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

**-वादीगण**

**बनाम**

1. **गोवर्धन सोनी** पुत्र भंवरलाल, उम्र 61 वर्ष, निवासी ग्राम बावलीखुर्द, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज.)

2. कलावतीबाई पत्नी गोवर्धन, उम्र 59 वर्ष, निवासी ग्राम बावलीखुर्द, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज.)

3. राजस्थान सरकार जरिए उप-पंजीयक झालावाड (झालरापाटन) जिला झालावाड़ (राज.)

**-प्रतिवादीगण**

**वाद बाबत अकृत-शुन्य-निष्प्रभावी किये जाने**
**विक्रय पत्र दिनांक 18/10/2021 एवं स्थाई**
**निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश**

उपस्थितः-

1. श्री दिलराज मीणा, अधिवक्ता, वादीगण की ओर से।
2. श्री तवंरसिहं झाला, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1से2 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

**निर्णय** **दिनांकः-25.03.2026**

1. यह वाद-पत्र दिनांक 25.11.2022 को वादीगण की ओर से इस न्यायालय के समक्ष विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत वाद बाबत अकृत-शुन्य-निष्प्रभावी किये जाने विक्रय पत्र दिनांक 18/10/2021 एवं स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश का इस आशय का पेश किया गया कि वादिया सं. 1 प्रतिवादी सं. 1 की विवाहिता पत्नी एवं वादिया से. 2 प्रतिवादी की पुत्री है। प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक आराजी ग्राम ढावलीखुर्द पटवार हल्का नलखाडी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या नया 82 पुराना 57 खसरा नं. 162, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 307, 308, 339, 342, 403, 404,

405, 406, 407, 409, 411, 415, 518/410, 520/408, 652/131, 654/136 कुल 24 किता कुल रकबा 15,9580 हैक्टयर आराजी में 1/4 हिस्सा स्थित है। नकल जमाबन्दी बाद के साथ संलग्न है। वादिया सं. 1 सुगनबाई व प्रतिवादी सं. 1 गोवर्धन के मध्य आपसी मतभेद होने के कारण पर अलग अलग निवास करने पर वादिया सं. 1 सुगनबाई ने प्रतिवादी सं. 1 गोवर्धन के विरूद्ध न्यायालय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भवानीमण्डी में भरण पोषण राशि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 23/06/2009 को हो चुका है। जिसकी वसूली की कार्यवाही जारी है। प्रतिवादी सं.1 गोवर्धन ने इसी दौरान प्रतिवादी सं.2 कलावतीबाई से दूसरा विवाह कर लिया था और विवाह के बाद प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त पैतृक आराजी अपने हिस्से अनुसार प्रतिवादी सं. 2 कलावतीबाई को अवैध रूप से दिनांक 18/10/2021 को बेचान कर दिया तथा प्रतिवादी सं. 3 उप-पंजीयक झालावाड (झालरापाटन) बयनामा आराजी/विक्रय पत्र आलेखित करवाकर निष्पादित करवा दिया। जबकि वादिया सं. 1 प्रतिवादी सं. 1 की विवाहिता पत्नी व वादिया सं. 2 पुत्री होने के कारण वादीगण का उक्त पैतृक आराजी में हक हिस्सा निहित है। उक्त पैतृक आराजी का विनिर्दिष्ट रूप से बंटवारा नही होने पर बेचान करने का हक अधिकार प्रतिवादी सं. 1 को नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ने भरण पोषण राशि से बचने के लिये एवं वादीगण को उनका हिस्सा नहीं देने की गरज से षडयंत्र रचकर प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में बेचान कर दिया जिसका प्रतिवादी सं. 1 को कोई हक अधिकार नही है। वाद की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का कुल रकबा 15,9580 हैक्टयर आराजी में प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सेनुसार रकबा 3.9895 हैक्टयर हिस्सा बनता है। वादिया सं. 1 प्रतिवादी सं. 1 की पूर्व विवाहिता पत्नी व वादिया सं. 2 पूर्व विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्री होने के नाते प्रतिवादी सं. 1 के कुल 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्सेनुसार रकबा 1.99475 हैक्टयर का हिस्सा वादीगण का बनता है। नियमानुसार विभाजन होता है तो वादीगण का उक्त वर्णित आराजी में से 1/2 हिस्सेनुसार रकबा 1.99475 हैक्टयर का हिस्सा वादीगण को प्राप्त होता इसलिये बयनामा अकृत- शून्य निष्प्रभावी होने योग्य है। प्रतिवादी सं. 2 उक्त पैतक आरजी पर काबिज होकर रहन-गिरवी-दान-बेचान-वसीयत या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकती है तथा ऋण ले सकती है। इसलिये प्रतिवादी सं. 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना वादीगण के हित में आवश्यक है। वाद कारण अन्तिम रूप से दिनांक 18/10/2021 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण अपने पैतृक आराजी के बेचने की जानकारी प्राप्त हुई तो वादीगण एव प्रतिवादी सं. 2 के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। वाद शीघ्र सुनवाई का होने के कारण वादीगण ने धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेषित नहीं करने का माकूल कारण रहा है तथा धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिये जाने को

क्षमा करने बाबत पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो वाद पत्र का अभिन्न भाग है। प्रतिवादी सं. 3 उप-पंजीयक कार्यालय झालावाड (झालरापाटन) जिला झालावाड आवश्यक पक्षकार होने के कारण वाद में पक्षकार बनाया है उसके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वाद का मूल्याकंन प्रश्नगत विक्रय पत्र दिनांक 18/10/2021 में वर्णित प्रतिफल 15,00,000/- रू पर किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 के 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्से की सीमा तक का 7,50,000/- रू पर कायम किया जाकर निर्धारित शुल्क 42,250/- रू तथा स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश का मूल्याकंन 400 रू निर्धारित किया जाकर 50 रू न्याय शुल्क कुल 42,300/- रू पर प्रस्तुत है। वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में प्रस्तुत है। वाद न्यायालय में अवधि मध्य पेश है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि-

(क) प्रश्नगत विक्रय पत्र दिनांक 18/10/2021 जिसे प्रतिवादी स. 1 ने प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में निष्पादित किया है जिसे प्रतिवादी सं. 3 द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 25/10/2021 को पुस्तक 1 जिल्द सं. 405 पृष्ठ सं. 199 कम संख्या 3128 अतिरिक्त पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 1607 पृष्ठ सं 432 से 440 पर पर पंजीबद्ध 'किया गया है, को प्रतिवादी सं. 1 के कुल 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्सेनुसार रकबा 1.99475 हैक्टयर अकृत-शून्य-निष्प्रभावी घोषित किया जावे।

(ख) प्रतिवादी सं. 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ग्राम ढाबलीखुर्द पटवार हल्का नलखाडी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या नया 82 पुराना 57 खसरा न. 162, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 307, 308, 339, 342, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 411, 415, 518/410, 520/408, 652/131, 654/136 कुल 24 किता कुल रकबा 15,9580 हैक्टयर आराजी पर निर्माण कार्य नहीं करें, नहीं करे, कब्जा रहन-बय-दान-वसीयत-गिरवी या अन्य किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करे, किसी प्रकार का ऋण प्राप्त नहीं करे, वादीगण को उक्त आराजी का उपयोग उपभोग करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें, वादीगण के साथ लडाई झगडा विवाद नहीं करें, ऐसा ना तो स्वयं करें और अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भी नहीं करावे।

(ग) यदि दौराने वाद प्रतिवादी सं. 2 द्वारा किसी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि करने में सफल हो जावे तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 के खर्चे पर पुन स्थिति कायम करवाई जावे।

(घ) वाद का सम्पूर्ण खर्चा तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्राप्त किये गये मध्यवर्ती लाभ में, का वादीगण के हक हिस्से की हैसियत तक की राशि का लाभ दिलवाये जावे। अन्य

न्यायोचित सहायता जो बहक वादीगण हो प्रतिवादीगण से दिलवाये जावे। उक्त आशय की डिकी वादीगण के पक्ष में जारी की जावे।

2. प्रतिवादीगण 1व 2 की ओर से वाद-पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि दावे की मद नम्बर 1 में वादिया सं. 1 प्रतिवादी सं. 1 की पत्नी एव वादिया सं. 2 प्रतिवादी की पुत्री होने के कथन स्वीकार है, एवं मद नम्बर 1 में वर्णित आराजियात का ग्राम ढाबलीखुर्द तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ में स्थित होना एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा होने के कथन स्वीकार है, किन्तु प्रतिवादी नम्बर 2 ने खसरा 162, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 307, 308, 339, 342, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 411, 415, 518/410, 520/408, 652/131, 654/136 24 किता कुल रकबा 15.9580 हैक्टेयर आराजी में से प्रतिवादी नं. 1 का सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा रजिस्टर्ड बयनामा से खरिद कर लिया है जिस कारण प्रतिवादी नम्बर 2 खातेदार है, तथा प्रतिवादी नम्बर 2 का कब्जा काश्त हैं। दावे की मद नम्बर 2 के कथन में वादीनी प्रतिवादी नम्बर 1 से लड़ाई झगड़ा कर अपने पिहर में निवास कर रही है, बाकि के कथन स्वीकार है। दावे की मद नम्बर 3 के कथन अस्वीकार है प्रतिवादी नम्बर 1 की स्वयं की आराजी थी जिसका उपयोग उपभोग उसकी इच्छा अनुसार कर सकता है, जिस कारण प्रतिवादी नम्बर 1 ने सही तरिके से अपने खाते की आराजी का बैचान प्रतिवादी नम्बर 2 को किया हैं । वादीगण का प्रतिवादी नम्बर 1 की आराजी में कोई हक एवं हिस्सा नही बनता है, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पत्नी को अपने पति से केवल खर्चा लेने का अधिकार है, जायजाद (सम्पति) में हिस्सा लेने का अधिकार नही है। वादिया नम्बर 1 प्रतिवादी नम्बर 1 से खर्चा प्राप्त कर रही है तथा वादिया ने वसूली की कार्यवाही भवानीमण्डी कोर्ट में पेश कर रखी है वादिया नम्बर 1 का कोई हिस्सा नही बनता है तथा वादिया नम्बर 2 की शादी कर दी है वह अपने ससुराल में निवास कर रही है। जिस कारण वादिया नम्बर 2 का भी कोई हिस्सा नही बनता है बाकी के कथन भी बनावटी एवं झूठे होने से स्वीकार नही है। दावे की मद नम्बर 4 के कथन स्वीकार नही है, वाद की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का कुल रकबा 15.9580 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सेनुसार रकबा 3.9895 हैक्टेयर हिस्सा बनने के कथन स्वीकार है बाकि के कथन स्वीकार नही है वादिया संख्या 1 प्रतिवादी सं. 1 की पत्नी व वादिया सं. 2 वादिया सं. 1 पत्नी से उत्पन्न पुत्री होने के कथन स्वीकार है किन्तु वादीगण का कोई हिस्सा नही बनता है बाकी के कथन भी वादीगण ने झूठे एवं बनावटी दर्ज किये है जिस कारण बयनामा अकृत- शुन्य-निष्प्रभावी नही किया जा सकता है। दावे की मद नम्बर 5 के कथन स्वीकार नही है, उक्त आराजी पैतृक आराजी नही है प्रतिवादी सं. 2 की

खरीदशुदा आराजी है तथा प्रतिवादी सं. 2 उक्त आराजी पर काबिज हैं एवं काश्त कर रही है, प्रतिवादी सं. 2 ने वादीगण के दावा लगाने से पूर्व ही उक्त आराजी पर बैंक से ऋण ले रखा हैं जिसका इन्द्राज जमाबन्दी पर भी हो रहा वादीगण ने बनावटी एवं मनगढन्त कथन दर्ज किये हैं जिन्हे प्रतिवादीगण स्वीकार नही करते है, प्रतिवादी सं. 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से वादीगण पाबन्द नही करा सकते है। दावे की मद नम्बर 6 के कथन मनगढन्त एवं बनावटी होने से स्वीकार नही है, वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है, वादीगण ने झूठे एवं बनावटी तथ्यो के आधार पर दावा पेश किया है, जिस कारण दावा खारिज किये जाने योग्य है। दावे की मद नम्बर 7 के कथन स्वीकार नही है, वाद शीघ्र सुनवाई का नही हैं धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस देना अनिवार्य था, उसके बाद भी वादीगण ने धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नही दिया है, नोटिस देने के बाद ही धारा 80 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर दावा पेश किया जा सकता। दावे की मद नम्बर 8 के कथन कानूनी है। दावे की मद नम्बर 9 के कथन अस्वीकार है, वादीगण ने वाद का मूल्यांकन कम किया है तथा कोर्ट फीस कम पेश की हैं सब रजिस्ट्रार झालरापाटन ने उक्त आराजी का बयनामा (रजिस्ट्री) डी.एल.सी. की रेट पर रजिस्टर्ड किया हैं। उक्त आराजी की कीमत डी.एल.सी. की रेट के आधार पर 2861802/- रूपये है तथा बयनामा भी इसी कीमत पर रजिस्टर्ड किया है, वादीगण ने समुचित कोर्ट फीस पर वाद पेश नही किया है, जिस कारण वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है। दावे की मद नम्बर 10 के कथन स्वीकार नही है। दावे की मद नम्बर 11 के कथन स्वीकार नही है। सहायता की मद स्वीकार नही है।

(क). दावे में सहायता की मद नम्बर (क) के कथन स्वीकार नही है। विक्रय-पत्र दिनांक 25.10.2021 विधि के अनुसार एवं पंजीयन अन्तरण अधिनियम एवं पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत ही निष्पादित हुआ, जिस कारण रजिस्ट्री निरस्त नही की जा सकती और नही विक्रय पत्र को प्रभाव शुन्य व निष्प्रभावी घोषित किया जा सकता है। (ख). यह कि दावे में सहायता की मद नम्बर (ख) के कथन अस्वीकार है। वादीगण प्रतिवादी सं. 2 को किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही करा सकते है। दावे की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी ग्राम ढाबलीखुर्द पटवार हल्का नलखाड़ी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या नया 82 पुराना 57 खसरा, नम्बर 162, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 307, 308, 339, 342, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 411, 415, 518/410, 520/408, 652/131, 654/136 24 किता कुल रकबा 15.9580 हैक्टेयर आराजी में से 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी सं. 2 का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी सं. 2 ही काश्त करती चली आ रही है तथा उक्त आराजी पर वादीगण के दावा

लगाने से पूर्व ही प्रतिवादी सं. 2 ने बैंक से ऋण ले रखा हैं। प्रतिवादी सं. 2 ने विधि के अनुसार खररद की आराजी का उपयोग उपभोग एवं हस्तान्तरण अपनी इच्छा अनुसार कर सकती हैं, जिस कारण बाकी के कथन भी स्वीकार नही है। (ग). यह कि दावे में सहायता की मद नम्बर (ग) के कथन अस्वीकार है। (घ). यह कि दावे में सहायता की मद नम्बर (घ) के कथन अस्वीकार है, वादीगण किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विशेष कथन में यह अभिकथन किया गया कि वादीगण का वाद कानूनन चलने योग्य नही है। वादीगण को वाद लाने का कोई हक नही है। वादीगण ने दावा कतई झूठे एवम् बनावटी तथ्यो पर पेश किया हैं जो चलने योग्य नही है। उक्त आराजी वादीगण के दावा लगाने से पूर्व ही एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा झालावाड़ के यहां रहन है जिस कारण बैंक आवश्यक पक्षकार हैं किन्तु वादीगण ने बैंक को पक्षकार नही बनाया हैं जिस कारण भी वादीगण का दावा खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी नम्बर 1 के पांच सन्तान 1. लीलाबाई, 2. ललीताबाई, 3. टीना, 4. रोहित, 5. मनोज कलावती बाई से उत्पन्न हुई है, एवं एक सन्तान रेखाबाई वादी नम्बर 1 सुगनबाई से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सभी सन्तानो का समान हक एवं हिस्सा बनता है, एवं एक हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 गोवर्धन का बनता है। उक्त आराजी को पुश्तैनी आराजी मान भी ली जावे तो भी वादिया नम्बर 2 का 1/7 हिस्सा बनता है, एवं वादिया नम्बर 1 का कोई हिस्सा नही बनता है। वादिया नम्बर 2 का विवाह कर दिया है तथा अपने ससुराल में निवास कर रही है जिस कारण वादिया नम्बर 2 का भी कोई हिस्सा उक्त आराजी में नही बनता है। वाद में वर्णित आराजियात मुन्दर्जा मद नम्बर 1 अर्जी दावे मे खसरा नम्बर 162, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 307, 308, 339, 342, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 411, 415, 518/410, 520/408, 652/131, 654 / 136 कुल 24 किता कुल रकबा 15.9580 हैक्टेयर आराजी में से प्रतिवादी नम्बर1 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 दिनांक 25.10.2021 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से प्रतिवादी नम्बर 2 को बैचान कर मुन्तकिल कर दिया है, तथा बैचान की गई आराजियात पर प्रतिवादी नम्बर 2 को मौके पर वास्तविक कब्जा दे दिया है, तब से प्रतिवादी नम्बर 2 ही काश्त करती चली आ रही है जिस कारण वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है, बहकावे में आकर वादीगण ने झूठा दावा पेश किया हैं। अतः जवाब दावा पेश कर वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज किए जाने तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को अन्तर्गत धारा 35(ए) जाप्ता दीवानी के तहत विशेष हर्जा 50000/- रूपये वादीगण से दिलाया जानेव अन्य जो भी सहायता न्यायहित में प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 पाने का पात्र को वह दिए जाने का निवेदन किया गया।

3. उभय पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गयेः-

1. आया वादीगण, प्रतिवादी सं० 1 द्वारा प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में निष्पादित प्रश्नगत विक्रय पत्र दिनांक 18.10.2021 पंजीबद्ध दिनांक 25.10.2021 को प्रतिवादी संख्या 01 के कुल 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्से अनुसार रकबा 1.99475 हैक्टयर हिस्सा शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित कराने के अधिकारी है? **..वादी**

2. आया वादीगण, प्रतिवादी सं० 2 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वह शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या नया 82 पुराना 57 खसरा नंबर 162, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 307, 308, 339, 342, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 411, 415, 518/410, 520/408, 652/131, 654 / 136 कुल 24 किता कुल रकबा 15.9580 हैक्टयर आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं करें, निर्माण कार्य नही करें, रहन बय दान वसीयत गिरवी या अन्य किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करें, ऋण प्राप्त नहीं करें, वादीगण को उक्त आराजी का उपयोग उपभोग करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें, वादीगण के साथ लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं करें, ऐसा ना तो स्वयं करें और ना अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करावें? **..वादी**

3. आया वादीगण, प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा दौराने वाद किसी प्रकार के अवैधानिक गतिविधि करने में सफल हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के खर्चे पर पुनः स्थिति कायम करवाने के अधिकारी हैं? **..वादी**

4. आया वादग्रस्त आराजी वाद से पूर्व एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा झालावाड़ के यहाँ रहन है जिस कारण उक्त बैंक आवश्यक पक्षकार है, जिसे वादीगण ने पक्षकार नही बनाया है जिस कारण वादीगण का वाद निरस्तनीय है? **....प्रतिवादीगण**

5. आया प्रतिवादीगण, वादीगण से विशेष हर्जा 50,000/- रूपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं? **....प्रतिवादीगण**

6. अनुतोष?

4. **वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य**

| **क्र.सं.** | **साक्षी क्रम** | **साक्षी का नाम** |
|---|---|---|
| 1 | पी.डबल्यू. 01 | सुगनबाई |
| 2 | पी.डबल्यू. 02 | रेखा कुमारी |

5. **वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य**

| **क्र.सं.** | **प्रदर्श** | **नाम दस्तावेजात** |
|---|---|---|
| 1 | प्रदर्श 1 | बयनामा |
| 2 | प्रदर्श 2 | नकल जमाबंदी संवत् 2071-2074 |
| 3 | प्रदर्श 3 | नामांतरण की प्रमाणित प्रति |
| 4 | प्रदर्श 4 | नकल जमाबंदी संवत् 2059-2062 |
| 5 | प्रदर्श 5 | नकल जमाबंदी संवत् 2067-2070 |
| 6 | प्रदर्श 6 | नकल आदेशिका ए.सी.जे.एम. कोर्ट भवानीमण्डी जिला-झालावाड़ की प्रमाणित प्रति |
| 7 | प्रदर्श 7 | नकल प्रार्थना पत्र बाबत् वसूली वारंट जारी करने भरण पोषण राशि |

**6. प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य**

| **क्र.सं.** | **साक्षी क्रम** | **साक्षी का नाम** |
|---|---|---|
| 1 | डी.डबल्यू. 01 | गोवर्धन |
| 2 | डी.डबल्यू. 02 | रमेशचंद |
| 3 | डी.डबल्यू. 03 | देवीलाल |

7. **प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य**

| **क्र.सं.** | **प्रदर्श** | **नाम दस्तावेजात** |
|---|---|---|
| 1 | प्रदर्श ए-1 | नामांतरण नंबर 439 |
| 2 | प्रदर्श ए-2 | राशन कार्ड |
| 3 | प्रदर्श ए-3 | आधार कार्ड लीला |
| 4 | प्रदर्श ए-4 | आधार कार्ड ललिता |
| 5 | प्रदर्श ए-5 | आधार कार्ड टीना |
| 6 | प्रदर्श ए-6 | आधार कार्ड रोहित |
| 7 | प्रदर्श ए-7 | आधार कार्ड मनोज कुमार |

8. बहस अन्तिम सुनी गयी। प्रस्तुत निम्नलिखित सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया-

1. 2023(2) RRT 1422 M. Sivadasan (Dead) Thru. L.Rs. & Ors. **vs.** A. Soudamini (Dead) Thru. L.Rs. & Ors.
2. 2019(1) RRT 291 Pyarelal **vs.** Shubhendra Pilania (Minor) thr. Natural Guardian (Father) Shri Pradeep Kumar Pilania & Ors.
3. 2023(1) RLW 740 (Raj.) Kamli Devi Sharma (Smt.) Versus Smt. Rampyari & Ors.

9. विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस वाद में वर्णित तथ्यों व प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को दोहराते हुए कथन किया गया है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार कर विक्रय पत्र दिनांक 18/10/2021 जिसे प्रतिवादी स. 1 ने प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में निष्पादित किया है तथा जिसे प्रतिवादी सं. 3 द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 25/10/2021 को पुस्तक 1 जिल्द सं. 405 पृष्ठ सं. 199 कम संख्या 3128 अतिरिक्त पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 1607 पृष्ठ सं 432 से 440 पर पर पंजीबद्ध किया गया है, को प्रतिवादी सं. 1 के कुल 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्सेनुसार रकबा 1.99475 हैक्टयर अकृत-शून्य-निष्प्रभावी घोषित किए जाने, प्रतिवादी सं.2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाने कि वाद की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ग्राम ढाबलीखुर्द पटवार हल्का नलखाडी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या नया 82 पुराना 57 खसरा न. 162, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 307, 308, 339, 342, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 411, 415, 518/410, 520/408, 652/131, 654/136 कुल 24 किता कुल रकबा 15.580 हैक्टयर आराजी पर निर्माण कार्य नहीं करें, कब्जा रहन-बय-दान-वसीयत-गिरवी या अन्य किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करे, किसी प्रकार का ऋण प्राप्त नहीं करे, वादीगण को उक्त आराजी का उपयोग उपभोग करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें, वादीगण के साथ लडाई झगडा विवाद नहीं करें, ऐसा ना तो स्वयं करें और अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भी नहीं करावे और दौराने वाद प्रतिवादी सं.2 द्वारा किसी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि करने में सफल हो जाने पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 के खर्चे पर पुनः स्थिति कायम करवाई जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस अन्तिम दिए गए तर्कों एवं उनपर न्यायालय का विश्लेषण एवं विवेचन निर्णय की अग्रिम पंक्तियों में किया जाएगा।

10. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1 व 2 द्वारा दौराने बहस जवाब-दावे में वर्णित तथ्यों व प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि वादीगण कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। वादीगण का वाद अस्वीकार करते हुए खारिज किए जाने का निवेदन किया गया। विद्वान

अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा दौराने बहस अन्तिम दिए गए तर्कों एवं उनपर न्यायालय का विश्लेषण एवं विवेचन निर्णय की अग्रिम पंक्तियों में किया जाएगा।

11. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रत्येक विवाद्यक पर निष्कर्ष निम्नप्रकार है-

**विवाद्यक संख्या-1**

12. उक्त विवाद्यक को सिद्ध करने का भार वादीगण पर रखा गया है, जिसके अधीन वादीगण को यह प्रमाणित करना है कि वादीगण, प्रतिवादी सं० 1 द्वारा प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में निष्पादित प्रश्नगत विक्रय पत्र दिनांक 18.10.2021 पंजीबद्ध दिनांक 25.10.2021 को प्रतिवादी संख्या 01 के कुल 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्से अनुसार रकबा 1.99475 हैक्टयर हिस्सा शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित कराने की अधिकारी हैं।

13. इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवादित स्थिति प्रकट हुई है कि वादिनी सं.1 सुगनबाई, प्रतिवादी सं.1 गोवर्धन की प्रथम पत्नी है एवं वादिनी सं.2 रेखा कुमारी, वादिनी सं.1 सुगनबाई एवं प्रतिवादी सं.1 गोवर्धन के नुत्फे से उत्पन्न पुत्री है तथा प्रतिवादिनी सं.2 कलावतीबाई, प्रतिवादी सं.1 गोवर्धन की द्वितीय पत्नी है। यह भी निर्विवादित स्थिति प्रकट हुई है कि ग्राम ढाबलीखुर्द पटवार हल्का नलखाडी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या नया 82 पुराना 57 खसरा न. 162, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 307, 308, 339, 342, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 411, 415, 518/410, 520/408, 652/131, 654/136 कुल 24 किता कुल रकबा 15.580 हैक्टयर आराजी में प्रतिवादी सं.1 गोवर्धन का 1/4 हिस्सा रहा था, जिस उक्त सम्पूर्ण हिस्से को प्रतिवादी सं.1 गोवर्धन द्वारा प्रतिवादी सं.2 कलावतीबाई को जरिए रजिस्टर्ड बयनामा प्रदर्श पी.1 विक्रय कर दिया गया। यह भी विवादरहित स्थिति सामने आई है कि वादिनी सं.1, प्रतिवादी सं.1 से पृथक निवास कर रही है तथा वादिनी सुगनबाई द्वारा प्रतिवादी गोवर्धन के विरुद्ध भरण-पोषण राशि प्राप्ति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का निर्णय दिनांक 23.06.2009 को हो चुका है, जिसकी वसूली की कार्यवाही जारी है। पक्षकारान के मध्य विवाद यहाँ से प्रारम्भ होता है कि जहाँ वादीगण यह कहकर आ रही हैं कि प्रतिवादी सं.1 गोवर्धन ने प्रतिवादी सं.2 कलावतीबाई से दूसरा विवाह कर लिया था और विवाह के बाद प्रतिवादी सं.1 ने उक्त पैतृक आराजी अपने हिस्से अनुसार प्रतिवादी सं.2 कलावतीबाई को अवैध रूप से दिनांक 18.10.2021 को बेचान कर प्रतिवादी सं.3 उप-पंजीयक झालावाड

(झालरापाटन) के यहाँ बयनामा आराजी/विक्रय पत्र आलेखित करवाकर निष्पादित करवा दिया। जबकि वादिनी सं.1 प्रतिवादी सं.1 की विवाहिता पत्नी व वादिनी सं.2 पुत्री होने के कारण वादीगण का उक्त पैतृक आराजी में हक-हिस्सा निहित है। उक्त पैतृक आराजी का बंटवारा नहीं होने से बेचान करने का हक-अधिकार प्रतिवादी सं.1 को नहीं है, परंतु प्रतिवादी सं.1 ने भरण-पोषण राशि से बचने के लिए एवं वादीगण को उनका हिस्सा नहीं देने की गरज से षडयंत्र रचकर प्रतिवादी सं.2 के पक्ष में बेचान कर दिया, जिसका प्रतिवादी सं.1 को कोई हक अधिकार नहीं है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण का यह कहना रहा है कि प्रतिवादी सं.1 की स्वयं की आराजी थी, जिस कारण प्रतिवादी सं.1 ने सही तरीके से अपने खाते की आराजी का बैचान प्रतिवादी सं.2 को किया है। वादीगण का प्रतिवादी सं.1 की आराजी में कोई हक एवं हिस्सा नही बनता है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पत्नी को अपने पति से केवल खर्चा लेने का अधिकार है, जायजाद (सम्पति) में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। वादिनी सं.1, प्रतिवादी सं.1 से खर्चा प्राप्त कर रही है तथा वादिनी नं.2 की शादी कर दी है, जो अपने ससुराल में निवास कर रही है, जिस कारण वादिनी सं.2 का भी कोई हिस्सा नही बनता है। इस प्रकार यह प्रकट हो रहा है कि वादीगण हस्तगत प्रकरण की आराजी को प्रतिवादी सं.1 गोवर्धन की पैतृक सम्पत्ति बतलाते हुए, ऐसी पैतृक सम्पत्ति में प्रतिवादी सं.1 की बतौर पत्नी व पुत्री कुल आराजी में प्रतिवादी सं.1 गोवर्धन के 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्सा अपने अधिकार का बतलाते हुए इस सीमा तक विक्रय-पत्र शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने के लिए वाद लेकर आई हैं।

14. इस प्रकार प्रकरण में सर्वप्रथम यह महत्वपूर्ण बिन्दू तय किया जाना है कि क्या वादपत्र की मद सं.1 में वर्णित कुल आराजी का प्रतिवादी सं.1 गोवर्धन को प्राप्त 1/4 हिस्सा पैतृक सम्पत्ति था? यदि इस बाबत विधिक स्थिति पर गौर किया जावे, तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 सहदायिकी सम्पत्ति में हित का न्यागमन को प्रावधित करती है तथा इसकी टिप्पणी क्रमांक 32 में यह स्पष्ट किया गया है कि **"सम्पत्ति जो किसी हिन्दू को उसके पिता, पिता के पिता, पिता के पिता के पिता से प्राप्त हो, पैतृक सम्पत्ति होगी तथा हिन्दू को अन्य से प्राप्त** (Inherited from other relations) **उसकी पृथक सम्पत्ति होगी। पैतृक सम्पत्ति का महत्वपूर्ण गुण** (essential feature) **यह है कि सम्पत्ति उत्तरजीविता के आधार पर मृतक हिन्दू के पुत्र, पुत्र के पुत्र या पुत्र के पुत्र के पुत्र** (Great grand sons) **को प्राप्त होती है तथा वे सभी ऐसी सम्पत्ति के सम्मलित स्वामी हो जाते हैं, उन्हें सम्पत्ति को प्राप्त करने का जन्म से अधिकार प्राप्त हो जाता है।** ***(यू.आर.विरूपकशैहाय वि. सर्वाम्मा, 2009(3) म.प्र.लॉ.ज.247)*** इसी प्रकार टिप्पणी क्रमांक 40 में स्पष्ट किया

गया है कि **सहदायिकी सम्पत्ति में पुत्री/नारी का न्यागमन के लिए यह आवश्यक शर्त है कि सहदायिक का हित, यदि पुत्री का जन्म संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी दिनांक 09.09.2005 के पूर्व हुआ है, तो सहदायिक की मृत्यु होने पर ही उत्तराधिकार उत्पन्न होगा।** ***(वैशाली सतीश गनोरकर वि. सतीश केशवराव गनोरकर, ए.आई.आर.2012 बम्बई 101, प्रकाश वि. फूलवती, 2016 (1) म.प्र.लॉ ज. सु.को.108)***

**संशोधित प्रावधान दिनांक 09.09.2005 से प्रभावी। पुत्रियां जो 09.09.2005 के बाद जन्मी हैं वे हिन्दू सम्मिलित परिवार में सहदायिक हैं। यद्यपि जो पुत्रियां 09.09.2005 के पहले जन्मी हैं वे भी सहदायिक हैं, परन्तु यह तब होता है जबकि सहदायिक की मृत्यु होती है, अर्थात हिन्दू सम्मिलित परिवार सहदायिक की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकार का न्यागमन होता है।**

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम से संबंधित है, जिसकी टिप्पणी क्रमांक 8 में स्पष्ट किया गया है कि **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रभावशील होने के उपरान्त मूल स्वामी के जीवित रहते उसके वारिसों को सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता।** ***(लक्ष्मो बाई वि. गुड्डो बाई, 2006(2) म.प्र.वी.नो. 24)***

15. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों पर गौर करने पर प्रकट होता है कि चूँकि वादीगण अपने वाद में उक्त आराजी को पैतृक सम्पत्ति बतलाकर आई हैं, तो ऐसे में किसी भी प्रकरण में जो पक्ष यह कहकर आता है कि सम्पत्ति पैतृक है, उसकी साबिती का भार भी उसी पक्ष पर होता है कि वह साबित करे कि वास्तव में सम्पत्ति पैतृक रही थी। इस संबंध में वादीगण सुगनबाई पी.ड.1 एवं पी.ड.2 रेखा कुमारी ने दौराने अभिसाक्ष्य अपनी मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत शपथ-पत्रों में वादपत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए आराजी को पैतृक सम्पत्ति होना मौखिक रूप से तो बतलाया है, परंतु वादीगण ने ऐसी कोई सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी सं.1 के परदादा से प्रतिवादी सं.1 के पास आई हो तथा प्रतिवादी का परिवार संयुक्त हिन्दु परिवार रहा हो, जिसमें आराजी का किसी प्रकार से कोई बंटवारा नहीं हुआ हो। वादिनी पी.ड.2 रेखा कुमारी ने दौराने प्रतिपरीक्षा यह जाहिर किया है कि **यह जमीन मेरे दादाजी की है**, अर्थात यह साक्षिया प्रतिवादी सं.1 गोवर्धन के पिता की आराजी होना बतलाती है। प्रतिवादी डी.ड.1 गोवर्धन ने दौराने प्रतिपरीक्षा कथन किया है कि **यह कहना गलत है कि उक्त विवादित आराजी मेरे पिताजी की पुश्तैनी जमीन हो।** इस

प्रकार वादीगण की ओर से आराजी को पैतृक सम्पत्ति तो बतलाया जा रहा है, परंतु इस तथ्य के विपरीत स्वयं वादिनी सं.2 रेखा कुमारी आराजी को अपने दादा की होना साक्ष्य में जाहिर कर रही है। एक सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत Yudhishter v. Ashok Kumar, (1987) 1 SCC 204: AIR 1987 SC 558 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि यदि सम्पत्ति केवल पिता से पुत्र को मिली है, तो मात्र इसी आधार पर उसे पैतृक नहीं माना जा सकता है, अपितु यह साबित करना आवश्यक है कि वह सम्पत्ति चार पीढ़ियों से अर्थात उसके पिता, पिता के पिता, पिता के पिता के पिता से प्राप्त हुई है। वादीगण की ओर से इस तथ्य की साबिती हेतु सुसंगत जमाबंदी की नकलें आदि भी प्रस्तुत की जा सकती थीं, जो कि उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई हैं। हस्तगत प्रकरण में वादीगण की ओर से जो जमाबन्दी प्रदर्श पी.2, नामान्तरणकरण प्रदर्श पी.3 एवं जमाबन्दी प्रदर्श पी.4 प्रस्तुत की गई हैं, उनसे भी आराजी प्रतिवादी सं.1 गोवर्धन के पिता भंवरलाल की होना दर्शित हो रही है और पिता भंवरलाल की मृत्यु होने के पश्चात प्रतिवादी सं.1 गोवर्धन को आराजी का 1/4 हिस्सा प्राप्त होना उक्त दस्तावेजात से दर्शित हो रहा है। वादीगण की ओर से सुसंगत जमाबन्दी के साथ ही कोई खानदानी शिजरा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवादित आराजी के संबंध में दौराने अभिसाक्ष्य प्रतिवादी गोवर्धन डी.ड.1 ने प्रतिपरीक्षा में यह जाहिर किया है कि यह जमीन उसके दादाजी ने खरीदी थी, इस प्रकार प्रतिवादी सं.1 के उक्त कथन के आधार पर आराजी प्रतिवादी सं.1 गोवर्धन के दादा अर्थात वादिनी सं.2 रेखा के परदादा की खरीदशुदा होना प्रकट हुआ है, न कि उक्तानुसार चार पीढ़ियों से चली आ रही संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित आराजी। अब जहाँ तक उक्त प्रतिवादी सं.1 के दादा की खरीदशुदा उक्त आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत सहदायिकी सम्पत्ति में हित का न्यागमन के तहत वादिनी सं.2 रेखा कुमारी के हक-अधिकार निहित होने के तथ्य पर गौर किया जावे, तो प्रकरण में यह तथ्य तो विवादित नहीं है कि वादिनी सं.2 रेखा कुमारी प्रतिवादी सं.1 गोवर्धन की पुत्री है और इसका जन्म दिनांक 09.09.2005 से पूर्व हुआ है, परंतु विधिक प्रावधानानुसार प्रकट स्थिति हम ऊपर देख चुके हैं कि सहदायिकी सम्पत्ति में पुत्री/नारी का न्यागमन के लिए यह आवश्यक शर्त है कि सहदायिक का हित, यदि पुत्री का जन्म संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी दिनांक 09.09.2005 के पूर्व हुआ

है, तो सहदायिक की मृत्यु होने पर ही उत्तराधिकार उत्पन्न होगा, अर्थात दिनांक 09.09.2005 से पूर्व जन्मी पुत्री (वादिनी सं.2) का भूतलक्षी प्रभाविता के क्रम में न्यागमन सहदायिक (प्रतिवादी सं.1) की मृत्यु पर ही उत्पन्न माना जा सकता था। चूँकि प्रकरण में प्रतिवादी सं.1 जीवित रहा है और वादिनी सं.2 का जन्म दिनांक 09.09.2005 से पूर्व हुआ है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में उसका कोई हक-अधिकार सहदायिकी के आधार पर विवादित आराजी में उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार चूँकि प्रतिवादी सं.1 गोवर्धन जीवित है और विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति वादीगण साबित नहीं कर सकी हैं तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त आराजी प्रतिवादी सं.1 को पिता से प्राप्त होकर उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति होना प्रकट हो रहा है, इन परिस्थितियों में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत भी प्रतिवादी सं.1 के जीवित रहते हुए वादीगण को विवादित आराजी में कोई हक-अधिकार प्राप्त होना नहीं पाए जाते हैं। न्यायालय के विनम्र मत में विवादित आराजी प्रतिवादी सं.1 की स्वअर्जित सम्पत्ति होना प्रकट हो रही है, जिसके संबंध में उसे विक्रय या अंतरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। इस संबंध में सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत Yudhishter v. Ashok Kumar, (1987) 1 SCC 204: AIR 1987 SC 558 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न अभिमत दिया गया हैः-

"After the commencement of the Hindu Succession Act, 1956, when a son inherits the property from his father under Section 8 of the Act, he takes it in his individual capacity and not as Karta of his own undivided family. The property inherited by a son from his father does not become ancestral property in his hands vis-à-vis his own sons."

सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत Tulasamma v. Sesha Reddy (1977) 3 SCC 99: AIR 1977 SC 1944 में भी निम्न अभिमत दिया गया हैः-

"A Hindu male has full power of disposition over his separate or self-acquired property and he can dispose of the same in any manner he likes unless there is any legal restriction."

जहाँ तक प्रतिवादी सं.1 की पत्नी वादिनी सं.1 का विवादित आराजी में हक-अधिकार का प्रश्न है, तो इस संबंध में सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत B.P. Achala Anand v. S. Appi Reddy (2005) 3 SCC 313 में निम्न अभिमत दिया गया हैः-

"A wife has no proprietary rights in the property of her husband merely by virtue of being his wife. Her right is only to claim maintenance including residence in accordance with law."

16. हस्तगत प्रकरण में वादिनी सं.1 स्वयं यह कहकर आई है कि वह प्रतिवादी सं.1 से पृथक रह रही है तथा उसने प्रतिवादी सं.1 के विरुद्ध भरण-पोषण का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें वसूली वारण्ट प्रतिवादी सं.1 के विरुद्ध जारी हो रखा है। दौराने अभिसाक्ष्य प्रतिपरीक्षा में वादिनी सुगनबाई पी.ड.1 ने कथन किया है कि **मैं मेरे पति से लगभग 30 साल से अलग रह रही हूँ। यह कहना सही है कि कोर्ट ने मेरे भरण-पोषण का खर्चा तय कर दिया था। मेरे पति ने भरण-पोषण के पैसे पहले दिए थे, उसके बाद से नहीं दिए थे। मैंने मेरे पति के खिलाफ भरण-पोषण की राशि प्राप्त करने के लिए वारंट जारी करवा रखे हैं।** इस संबंध में प्रतिवादी सं.1 की पुत्री पी.ड.2 रेखा कुमारी ने दौराने अभिसाक्ष्य प्रतिपरीक्षा में कथन किए गए हैं कि **मेरी शादी को 16 वर्ष हो गए हैं। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी की है, जिनसे उनको पाँच संताने हैं। यह कहना सही है कि वो भी मेरे रिश्ते में भाई-बहन लगते हैं।** वादिनी के उक्त कथनों से प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत राशनकार्ड व आधार कार्ड की दस्तावेजी साक्ष्य का समर्थन होता है। इस प्रकार प्रकरण में यह प्रकट हो रहा है कि वादिनी सं.1 का प्रतिवादी सं.1 की पत्नी होने के कारण पति के जीवनकाल में उसकी सम्पत्ति पर कोई स्वामित्व अधिकार स्वतः नहीं बनता है तथा उसे पति से पृथक रहने के दौरान उससे केवल भरण-पोषण और निवास का अधिकार प्राप्त है, जिस संबंध में वादिनी सुगनबाई ने दावा कर भरण-पोषण प्राप्त करना तथा वसूली वारण्ट जारी होना भी स्वीकार किया है तथा डी.ड.1 प्रतिवादी गोवर्धन द्वारा भी जाहिर किया गया है कि उसके द्वारा वादिनी सं.1 को भरण-पोषण राशि दी गई थी तथा वादिनी सं.2 के विवाह में खर्चा दिया गया था। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय के विनम्र मत में प्रकरण की परिस्थितियों में वादिनी सं.1 केवल पत्नी होने के आधार पर अपने पति/प्रतिवादी सं.1 द्वारा उसके स्वामित्व व कब्जे की वादपत्र की मद सं.1 में वर्णित आराजी के 1/4 हिस्से के विक्रय को चुनौती नहीं दे सकती है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वादीगण को अपने पैरों पर खड़े होकर अपने वाद को साबित करना होता है। हस्तगत प्रकरण में वादीगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में जो जमाबन्दी व नामांतरणकरण क्रमशः प्रदर्श पी.2 व 3 की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं, उनमें भंवरलाल (फौत) के वारिस के रूप में प्रतिवादी सं.1 गोवर्धन सहित तीन अन्य पुत्र रामप्रताप, धन्नालाल व कारुलाल एवं चार पुत्रियां पारवतीबाई, मोहनबाई, रतनबाई व दर्यावबाई के नाम अंकित होना दर्शित हो रहे हैं, इनमें वादीगण के नाम अंकित नहीं हैं। स्वयं वादिनी सं.2 ने दौराने साक्ष्य आराजी

उसके दादा की अर्थात प्रतिवादी सं.1 के पिता की होना बतलाया है, जो तथ्य उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से भी पुष्ट हो रहा है तथा उक्त कथन वादीगण के विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति होने के अभिवचनों के विपरीत है। वादीगण की ओर से प्रकरण में कोई पुरानी रजिस्ट्रीयां, जमाबंदी, खानदानी शिजरा इत्यादि प्रस्तुत कर संबंधित आराजी चार पीढ़ियों से संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति होना साबित नहीं करवाया जा सका है, जबकि प्रतिवादी सं.1 को कुल आराजी का 1/4 हिस्सा विरासत में प्राप्त होना एवं उस हिस्से पर उसका काबिज होना साक्ष्य से प्रकट हुआ है। वादिनी सं.2 रेखा कुमारी ने भी यह जाहिर किया है कि **विवादित जमीन पर मेरे पिताजी खेती करते हैं।** ऐसी स्थिति में जब वादीगण वादपत्र की मद सं.1 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी सं.1 के 1/4 हिस्से में अपना कोई हक-अधिकार ही साबित नहीं कर सकी हैं और उपलब्ध साक्ष्य से प्रतिवादी सं.1 को अपने हिस्से व कब्जे की उक्त भूमि को बेचान करने का अधिकार प्राप्त होने से उसके द्वारा प्रश्नगत विक्रय-पत्र दिनांक 18.10.2021 पंजीबद्ध दिनांक 25.10.2021 प्रदर्श पी.1 के द्वारा प्रतिवादी सं.2 कलावतीबाई को विक्रय किया जाना प्रकट हुआ है, तो ऐसे में न्यायालय के विनम्र मत में वादीगण उक्त विक्रय-पत्र को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित कराने की अधिकारिणी नहीं रह जाती हैं। जहाँ तक प्रतिवादी सं.1 द्वारा भरण-पोषण राशि की अदायगी नहीं करने एवं ऐसी राशि अदायगी से संबंधित वसूली वारण्ट की कार्यवाही से बचने के लिए अपनी आराजी को बैचान करने तथा बिना विवाह विच्छेद के द्वितीय विवाह कर लेने का प्रश्न है, तो इस संबंध में वादिनी सं.1 अन्य आवश्यक विधिक चाराजोही अमल में ला सकती है, परंतु मात्र इस आधार पर वादीगण हस्तगत वाद में वांछित सहायता प्राप्त नहीं कर सकती हैं। अतः उपरोक्त समस्त विश्लेषण, विवेचन के आधार पर विवाद्यक सं.2 वादीगण के विरुद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

**विवाद्यक संख्या-2 व 3**

17. उक्त दोनों विवाद्यकों को सिद्ध करने का भार वादीगण पर रखा गया है। विवाद्यक सं.2 के तहत वादीगण को यह सिद्ध करना है कि वादीगण, प्रतिवादी सं० 2 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि वह शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या नया 82 पुराना 57 खसरा नंबर 162, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 307, 308, 339, 342, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 411, 415, 518/410, 520/408, 652/131, 654 / 136 कुल 24 किता कुल रकबा 15.9580 हैक्टयर आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं करें, निर्माण कार्य नही करें, रहन बय दान वसीयत गिरवी या अन्य किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करें, ऋण प्राप्त नहीं करें, वादीगण को उक्त आराजी का

उपयोग उपभोग करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें, वादीगण के साथ लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं करें, ऐसा ना तो स्वयं करें और ना अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करावें तथा विवाद्यक सं.3 के तहत वादीगण को यह साबित करना है कि प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा दौराने वाद किसी प्रकार के अवैधानिक गतिविधि करने में सफल हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के खर्चे पर पुनः स्थिति कायम करवाने के वादीगण अधिकारी हैं। इस संबंध में इतना ही लिखना पर्याप्त है कि विवाद्यक सं.1 में किए गए विश्लेषणानुसार वादीगण प्रथमतया अपना हक-अधिकार ही उक्त आराजी में होना सिद्ध नहीं कर सकी हैं, द्वितीयतः पी.ड.1 वादिनी सुगनबाई ने दौराने अभिसाक्ष्य कथन किया है कि **यह सही है कि मैं इस जमीन पर कभी खेती करने के लिए नहीं गई। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि जमीन कलावतीबाई के नाम पर है।** इसी तरह पी.ड.2 वादिनी रेखा कुमारी ने दौराने अभिसाक्ष्य कथन किया है कि विवादित जमीन मैंने देखी है। **यह कहना सही है कि वर्तमान में विवादित जमीन कलावतीबाई के नाम पर है। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि वर्तमान में इस जमीन पर खेती कलावतीबाई करवाती हो। मैं विवादित जमीन की दिशाएं नहीं बता सकती। मैं मेरे पति के साथ रहती हूँ।** इस प्रकार उक्त साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि वादीगण का कोई कब्जा भी आराजी पर नहीं रहा है, क्योंकि उनकी साक्ष्य से प्रकट हो रहा है कि वे निरंतर आराजी पर नहीं जाती हैं और वर्तमान में खेती कौन करवा रहा है, इस बारे में अनभिज्ञतापूर्ण कथन भी उनका कब्जा आराजी पर नहीं होने को ही इंगित करते हैं। ऐसी स्थिति में जबकि वादीगण का कोई हक-अधिकार एवं कब्जा ही आराजी में नहीं रहा है, तो प्रतिवादी सं.2 को वादपत्र में वांछितानुसार जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना एवं प्रतिवादीगण के खर्चे पर पुनः स्थिति कायम करवाए जाने के तथ्य का कोई विधिक आधार एवं औचित्य नहीं रह जाता है। अतः विवाद्यक सं.2 व 3 भी वादीगण के विरुद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किए जाते हैं।

**<u>विवाद्यक संख्या-4 व 5</u>**

18. उक्त दोनों विवाद्यकों को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर रखा गया है। विवाद्यक सं.4 के तहत प्रतिवादीगण को यह सिद्ध करना है कि वादग्रस्त आराजी वाद से पूर्व एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा झालावाड़ के यहाँ रहन है, जिस कारण उक्त बैंक आवश्यक पक्षकार है, जिसे वादीगण ने पक्षकार नहीं बनाया है, जिस कारण वादीगण का वाद निरस्तनीय है। इस संबंध में डी.ड.1 प्रतिवादी गोवर्धन ने दौराने अभिसाक्ष्य शपथ-पत्र पर प्रस्तुत अपनी मुख्य परीक्षा में तो यह कथन किया है कि उक्त आराजी वादीगण के दावा लगाने से पूर्व ही एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा झालावाड़ के यहाँ रहन है, जिस कारण बैंक आवश्यक पक्षकार है,

परंतु उक्त की साबिती हेतु प्रतिवादीगण की ओर से आवश्यक एवं सुसंगत दस्तावेजात को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित व प्रमाणित नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में सुसंगत साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादीगण यह तथ्य साबित करने में असफल रहे हैं कि विवादित आराजी दावा लगाए जाने से पूर्व एच.डी.एफ.सी. बैंक के यहाँ बंधक हो। वैसे भी पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद सम्पत्ति के विभाजन का प्रतीत हो रहा है, जिसमें बैंक को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार जहाँ तक विवाद्यक सं.5 के तहत प्रतिवादीगण को वादीगण से विशेष हर्जा 50 हजार रुपये दिलाए जाने का प्रश्न है, तो इस बाबत भी प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य-सामग्री प्रस्तुत कर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन आधारों पर वे वादीगण से विशेष हर्जा 50 हजार रुपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर विवाद्यक सं.4 व 5 प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय किए जाते हैं।

**विवाद्यक संख्या-6 (अनुतोष)**

19. चूँकि प्रकरण में विवाद्यक संख्या-1, 2, व 3 वादीगण के विरुद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किए गए हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण खारिज किए जाने योग्य पाया जाता है।

**आदेश**

20. अतः वादीगण **सुगनबाई व अन्य** की ओर से प्रस्तुत यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण **गोवर्धन व अन्य** बाबत अकृत-शुन्य-निष्प्रभावी किए जाने विक्रय-पत्र दिनांक 18/10/2021 एवं स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश **खारिज** किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे।

**(आलोक सुरोलिया)**
जिला न्यायाधीश,
झालावाड़(राज.)

21. निर्णय आज दिनांक **25.03.2026** को खुले न्यायालय में पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

**(आलोक सुरोलिया)**
जिला न्यायाधीश,
झालावाड़(राज.)

**प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

SHAKIL MOHAMMAD

Steno Gr. I
"Authenticate Document"
Digitally signed by SHAKIL MOHAMMAD
Date: 2026.03.27 11:13:50 +0530

नोटः यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।